राजस्थान सरकार
डिविज़न एवं शिक्षाविद्या कार्य किसान
(राजकीय वादकरण)

कमांड पो 9(01) राज /वाद /88 पार्ट जयपुर दिनांक 29.12.18

:: आदेश ::

भारत के सबविधान के अनुसार 166 (1) के अधीन शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल श्री महेंद्र सिंहवी एवं नियमभार नियोजक को विपरीतार्थ संगठन की सीमा से रूपरेखा 55.902/—प्रतिमाह (किस्सा) के निरोप्त्र प्रतिवर्ष (रिटेनरशिप) पर राज्य के महाविद्यालय के पद पर नियुक्त करते हैं। ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। इसकी नियुक्ति संबंधी सामान्य विविध एवं सूत्र तथा परीक्षणित निवेदन प्रारंभ देखा होगा।

1. महाविद्यालय का गुरुपाल जयपुर में रहेगा।
2. महाविद्यालय का मासिक रिटेनरशिप फीस के अलावा एयरयेन्स / एयरएयरयेन्स इन सेंसरियल कॉसेज फीस व ड्रेसिंग एवं प्रारूपण चार्ज जयपुर कमांड पो 15(12) राज /वाद /06, जयपुर दिनांक 26.10.2010 तथा संशोधित दिनांक 04.09.2012, 22.09.2015 एवं दिनांक 14.08.2018 के अनुसार देखे होंगे।
3. महाविद्यालय को किसी भी विशेष मामले में, जो अधिक प्रतिकारक अथवा अधिक मूल्यांकन का होगा, तो राज्य सरकार विशेष रूप से अधिक राजस्थान शील के रूप में योग्य देखे।
4. महाविद्यालय अपने कार्यालय के लिए विभागाधीक्ष कुलकार्य को होगा तथा उनका स्वतः प्रमुख शासन सचिव के समक्ष होगा।
5. महाविद्यालय का राजकीय आवास उपवन कराये जाने में प्राधिकारक दृष्टि में देश प्रतिमाह के रिटेनरशिप पर निर्धारित प्रतिवर्ष से कार्य की जाएगी और राजकीय आवास उपवन न होने पर उन्हें प्राइवेट आवास हेतु देखे रिटेनरशिप पर निर्धारित प्रतिवर्ष से माहाराज किराया दिया जाएगा। यदि राजकीय आवास उपवन न हो और वे अपने निजी मकान में रहना चाहें तो उन्हें देखे रिटेनरशिप पर नियमानुसार किराया मात्र प्रतिमाह दिया जाएगा।
6. महाविद्यालय का सार्वजनिक निर्माण विभाग से फर्माचर ले सकें, जिसका किराया उन्हें निर्धारित दर से देना होगा।
7. महाविद्यालय के गुरुपाल (जयपुर) से वाहक जाने पर उनको यात्रा भार अन्य प्रमुख शासन सचिव के समन देखे होगा।
8. महाविद्यालय के कार्यालय एवं नियमभार में राज व्यवस्था की ओर से टेलीफोन की ज्याद्दा की जाएगी। नियमभार पर लगे टेलीफोन के भारतीय कॉल की सीमा प्रमुख शासन सचिव के समक्ष होगी।
9. महाविद्यालय का राज्य कार्य के लिए सरकारी दाहन उपवन कराया जाएगा जिसका उपयोग प्रमुख शासन सचिव के लिए निर्धारित प्रक्रिया व शर्तों के अनुसार किया जाएगा।
10. महाविद्यालय के साथ कर्त्तव्यों के अंतरिक्ष "दि राजस्थान लोक एवं जुयोक्सिचोल डिपार्टमेंट मेनुएल" की धारा 7, 8 व 9 एवं राजकीय वादकरण नीति, (समय—समय पर तथा संशोधित) में अक्षरकता करने को भी पालन करेंगे।

आदेश
(महादीप प्रसाद शामी)
प्रमुख शासन सचिव,विद्या
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, मार्ग राज्यपाल/मार्ग मुख्यमंत्री/मार्ग उप मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय विधि नंगी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, विधि/समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
4. महाजनकार, राजस्थान जयपुर/महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त आश्रितक महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
6. राजकीय अधिवक्ता, प्रशासन वादकरण, गवर्नमेंट काउंसिल, जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त आश्रितक महाधिवक्ता/एड्वोकेट ऑफ़ रिकॉर्ड, नई दिल्ली।
8. समस्त जिला कलक्टर्स/पुलिस अधौक्षक/विभागाध्यक्ष।
9. रजिस्ट्रार, जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
10. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
11. समस्त जिला एवं स्थ न्यायाधीश, राजस्थान।
12. अधीक्षक, केंद्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान राज-पत्र के आगामी अंक प्रकाशनार्थ।
13. निदेशक, जनसाधन, जयपुर।
14. सचिव, राजस्थान विभागाध्यक्ष, जयपुर।
15. निवेशक, राजस्थान मंडल, अजमेर।
16. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
17. सचिव, महाधिवक्ता, जयपुर।
18. कंपाचिहिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
19. विभि विभाग के समस्त प्रकोष्ठ/लेखा शाखा।
20. प्रोग्रामर, विधि विभाग।
21. राष्ट्र: पत्रावली।

29/12/19
शासन सचिव,विधि